MR. CHAIRMAN: If all members agree, we can hold over the discussion and take it up tomorrow and meanwhile take up the next item on the agenda.

SOME HON'BLE MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The Minister will reply to the discussion tomorrow and then we will take up Clause-by-Clause consideration.

17.10 hrs.

WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) AMENDMENT BILL.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill.

Shri Sikandar Bakht.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): Madam Chairman, I beg to move:

"That the bill to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 be taken into consideration."

As hon. Members are aware, Parliament passed the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, with a view to protect the wholesomeness of water and to control the pollution of rivers, etc.

For that purpose, Central and State Boards for pollution control have been established in most States to implement the provisions of the above Act. Industrial units and local bodies have been asked by the Boards to treat their effluents and sewage to prescribed specifications before they are let out into the rivers. The Boards have also started prosecutions of defaulters.

As a result of the operation of the above Act, certain drawbacks have come to the notice of the Government. These amendments are meant to remove those shortcomings.

It is hoped that once these amendments are passed, the Boards will be in a better position to discharge their functions and control pollution.

During the last session, the House had the opportunity to consider the Air (Prevention and Control of Pollution) Bill, 1978. At that time it was mentioned by many hon. Members, and also by me, that an integrated approach is being adopted to control environmental problems. Accordingly, the Water Pollution Control Boards, established under the 1974 Act, are being authorised to perform the functions of air pollution control also.

For this purpose, it is necessary to amend Sections 36 and 37 of the 1974 Act to enable the Boards to spend for air pollution work also. These amendments have been included in the proposed Bill.

Besides this, as per Section 4 of the 1974 Act, the State Governments have to constitute their State Boards within six months of the coming into force of the Act in their States. But unfortunately some States could not constitute the State Boards. They have not done it. Some other States did set up the Boards but this was after the expiry of the time-limit.

Therefore, to enable these Boards to come within the orbit of legality, some amendments are proposed in the existing Bill. The other amendments are only minor and consequential. Hence, I would request the hon Members to permit consideration of the Bill.

There is one point which is very important which I should like to clarify. Many hon. Members have expressed the view as to why there should be piecemeal legislations with regard to different types of pollutions, and that there should be one comprehensive legislation to cover all forms of environmental pollution. We have conceded the point, but there have been

some constitutional difficulties. (*Interruptions*) There is no doubt that it is a very desirable thing to have one common legislation to cover all forms of environmental pollution. But there are some constitutional difficulties which are coming in the way.

Now, water is a State subject. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 was passed by Parliament...

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): There is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister resume his seat.

The quorum bell is being rung.—

Now, there is quorum. The Hon'ble Minister may continue.

SHRI SIKANDAR BAKHT: Madam, I was pointing out that the necessity was felt and very rightly so that there should be one comprehensive legislation for all forms of environmental pollution. But as I said, there was a constitutional constraint in enacting one comprehensive legislation on this subject. Water is in fact a State subject and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 was passed on behalf of the State Governments under Article 252 of the Constitution. However, as Air Pollution is not confined to any one State boundary and as the U.N. Conference on Human Environment called on all member countries to take steps to preserve the natural resources including clean air, we have brought in the Air (Prevention and Control of Pollution) Bill, 1978 under Parliament's own power.

MR. CHAIRMAN: I would like to remind the Members and would draw their attention to the fact that when they are requested to come here for quorum purposes, they are not supposed to make it a noisy affair. Now, the hon. Minister may please continue.

SHRI SIKANDAR BAKHT: I was pointing out how the Bill was passed on behalf of the State Governments and in what manner the Air (Prevention and Control of Pollution) Bill was introduced in this Parliament in 1978 and this was done within the power of the Parliament itself under Article 253 of the Constitution. The matter was examined by an Expert Committee in my Ministry with the representatives of concerned Ministries, and it was decided that for the present the integrated approach can be achieved by a single implementing authority drawing authority from separate laws. Though a single law would have been most desirable, because of the Constitutional restraints, we cannot but have different laws but the implementing agency is one and the same. This is how we propose to give effect to the integrated approach.

With these words, I move that the Bill to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 may be taken up for consideration.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Mr. Vinayak Prasad Yadav has tabled an amendment. He is not here. Mr. Rajagopal Naidu.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Madam Chairman, I want to know why this Bill is being piloted by this Ministry instead of entrusting it to the Health Ministry because it is a technical subject pertaining to health and it is better if it is transferred to the Health Ministry.

MR. CHAIRMAN: The Minister can reply to this point at the end.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: The hon. Minister has said that it is a comprehensive Bill because the Air Pollution Bill has also been introduced. Then what about sound pollution?

AN HON'BLE MEMBER: It is in the Lok Sabha.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Especially in Delhi, it is very difficult to bear the sound created by the vehicles, trucks and other things. Here, it is said that this Bill is brought for three purposes. One is to legalise the State Boards which have been constituted after the time-limit. The second point is to appoint a Chairman on a part-time or full-time basis because some State Governments have said that it is difficult to appoint a full-time Chairman. The other thing is that the various State Boards will not only perform functions relating to the prevention, control and abatement of water pollution, but they would do so with regard to air pollution also. These are all good things, for which we congratulate the hon. Minister. But what about the implementation part of it? There are many Acts on the Statute Book without proper implementation. As we know, this Act is not being properly implemented and the industrialists are bypassing this and are polluting the river waters. Here pollution has been defined:

" 'Pollution' means such contamination of water or such alteration of the physical, chemical or biological properties of water".

We have to prevent this pollution. But the fact is that the industrialists are polluting the river waters without any action being taken against them. For example, at Chittoor in Andhra Pradesh, there is a factory manufacturing alcohol and they are allowing the industrial effluent to go in the river and it is causing much harm to the people. It is emitting a bad smell and it is not possible for the people to take river water. There is no provision for sufficient drinking water in Chittoor town. Even after five years' agitation, the Government is not taking any active steps. Even after the Collector having issued them a notice, they continue to pollute the river water and are going scot-free. There are many cases like this. I would, therefore, request the hon. Minister to see that this measure is properly implemented and these effluents are not allowed to be discharged into the rivers.

Due to urbanisation, the difficulty is becoming more and more. All the night-soil is being dumped very near the rivers and when the rain comes, everything flows into the rivers. Even the sewage water and the ditch water is being let into the rivers which are not perennial. These rivers flow only for one week or ten days and all this contaminates everything and the water. I would like to know, what steps are being taken by the Central Government or the State Governments with regard to this.

In Section 16 of the 1974 Act, under powers and functions of the Board, it is stated that it will:

"provide technical assistance and guidance to the State Boards carry out, to sponsor investigation and research relating to problems of water pollution".

What about the research? What is being done in the States or at the Centre. Is it not possible to encourage the Universities to conduct research with regard to these things and appoint some of the trained personnel in the Universities for this purpose? What is being done in this respect, I would like to know.

Then further, it is stated:

"organise through mass media a comprehensive programme for the prevention, control or abatement of water pollution"

Further,

"The Board may establish or reorganise a Laboratory or laboratories to enable the Board to perform its functions under this Section".

Though the Act specifies so many things—all these are quite ambitious—

yet these are not being translated into practice. My question is that whatever has been stated in the Act must be fulfiled. It is said that there must be instruments or a machinery to treat the effluents; but the instruments which have been kept there, are nothing but show pieces. They are placing these things, only because it is so provided in the Act. They are not able to treat the water. In many places we see that aquatic life is destroyed; in addition, the cattle which dring the water also die. Such water becomes injurious to health. Though the Government is having a very good scheme, it is not being implemented. So, I request Government to implement the Act, so that the objects for which the Bill has been introduced, are fulfilled.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदया, यह जल-प्रदूषण की समस्या भारतवर्ष में बहुत गंभीर हो गई है। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले वायु-प्रदूषण के सम्बन्ध में विचार किया था। लेकिन जहां तक जल-प्रदूषण का प्रश्न है --

"A World Health Organisation survey in 1976 indicated that more than half of the inhabitants of the Third World are not served by any regular water supply system. Even the capital city of Delhi, pampered as it is in many ways, faces a water crisis every summer."

हमारा कहने का मतलब यह है कि आज जिस जल-प्रदूषण की समस्या को केन्द्रीय सरकार ने ध्यान में लिया है उस पर स्टाकहोम कान्फरेंस में भी काफी चर्चा हुई है और यह देखना वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों का काम है कि जल-प्रदूषण की समस्या का समाधान हम किस तरह कर सकते हैं। अखबारों में अनेकों प्रकार से प्रदूषित जल के द्वारा जो खतरे हुए हैं उन के समाचार आए हैं। यह "हिन्दू" का 13 अगस्त का समाचार है --

"POLLUTED STREAM PARALYSES CATTLE

Environmental containation by the effluents of the lead-copper project has resulted in a peculiar disease to cattle—paralysis of limbs followed in some cases by death—in a village in Vinukonda taluk in Guntur district, Andhra Pradesh. This is the conclusion of the scientists who investigatted the phenomenon. The State Board for Prevention and Control of Water Pollution has directed the plant authorities to treat the effluents, to conform to safety standards."

सभापति महोदया, जब जब और ज्यों-ज्यों औद्योगीकरण होता जायगा और जब सभ्यता का नगरीकरण होता जायगा तथा खासकर के जब पूंजीवादी मनोवृत्ति के लोग केवल अपने मुनाफे का ध्यान में रखेंगे, सार्वजनिक लाभ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सचमुच में जल प्रदूषित होगा और हवा भी प्रदूषित होगी। डा० एम एन राव एक बार यहां आए थे और उन्होंने बम्बई और कलकत्ते की हवा का सैम्पल लिया था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि यहां बम्बई और कलकत्ते की वायु उतनी ही दूषित है जितनी कि न्यूयार्क की है। वह स्थिति तो भारतवर्ष में अभी नहीं आई है जैसी कि जापान में है जहां कि पुलिस वालों को जब पीक अवर रहता है, काफी भीड़भाड़ जिस समय रहती है, उस समय का आक्सीजन लेकर काम करना पड़ता है। यह तो अच्छा हुआ कि हमारे माननीय मंत्री जी पहले ही सावधान हो गए। अगर इस प्रदूषण को रोकने का इंतजाम नहीं हुआ तो दिल्ली बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ते जैसी जगहों में पुलिस के लोगों को और मंत्री महोदय को भी अगर जाने का मौका मिलेगा तो आक्सीजन का सिलिडर लेकर जाना होगा।

यहां जल के प्रदूषण की बात जब हम करते हैं तो हमें याद आता है, पंडित मदन

[डा० रामजी सिंह]

मोहन मालवीय जी गंगा जल ले कर इंग्लैण्ड जाते थे और वहां पन्द्रह बीस दिनों तक गंगा का जल बिल्कुल ठीक रहता था। लेकिन आज गंगा जल क्या, टैप वाटर में भी बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं। यह जो प्रदूषण का प्रश्न है इस के तीन कारण हैं। एक तो शहरों का अनियोजित विस्तार और दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइडस मैं रांची गया था, वहां पर बताया गया कि एक कारखाना जो फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स का कायम किया गया है उसकी सारी गंदगी तालाब में जाती है। मैं अहमदाबाद भी गया था और वहां भी सारी गंदगी इकट्ठी हो रही है।

सन् 1962 में एक कमेटी बनाई गई थी कि प्रदूषण की जो समस्या है उस पर वह विचार करे। 1974 में प्रिवेंशन आफ पोलूशन ऐक्ट लागू हुआ था और मंत्री महोदय ने जो संशोधन उपस्थित किए हैं वह आवश्यक है।

जहां तक स्टेट बोर्डस का प्रश्न है, कई स्टेट असेम्बलीज़ ने अपने प्रस्ताव रखे हैं हैं और वह भी विचार करने योग्य हैं।

Text of resolution adopted by the West Bengal Legislative Assembly on 15th March, 1978.

मैं अन्तिम निष्कर्ष ही पढ़ता हूं :

> "Now, therefore, in pursuance of clause (2) of Article 252 of the Constitution of India read with clause (1) of the said Article this Assembly hereby resolves that the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) be amended by Parliament."

इसी तरह से हरियाणा विधान सभा ने भी प्रस्ताव पास किया है। चूंकि यह किसी एक प्रदेश का प्रश्न नहीं है बल्कि इस में सम्पूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है इसलिए हरियाणा विधान सभा का जो निष्कर्ष है वह इस प्रकार है :

> "Now, therefore, inpursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution........"

उन्होंने यह भी कहा है कि यह संशोधन होना चाहिए। इसी प्रकार से असम लेजिस्लेटिव असेम्बली का प्रस्ताव भी है। इसलिए हमारे नायडू साहब ने ठीक ही कहा है कि बहुत विलम्ब से इसको लाया गया है।

हम चाहेंगे कि मंत्री जी इस पर अच्छी प्रकार से विचार करके एक कांप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लायें। वाटर पोलूशन के साथ एअर पोलूशन भी है। जिस प्रकार से औद्योगिक विस्तार हो रहा है उसके कारण शहरों में भीड़ जमती जा रही है। यदि समय होता तो मैं आपके सामने आंकड़े रखता कि गंगा में एक शहर से कितने मिलियन वेस्ट प्रोडक्ट रोज़ आता है। उसी पानी में हम स्नान करते हैं और उसी पानी को पीते हैं। अगर इन चीजों पर रोक-थाम नहीं की गई समय के रहते तो इनसे-फलाइटिस जैसी अनेकों बीमारियां पैदा होंगी और हजारों लोग उनके शिकार होंगे।

जैसा कि नायडू साहब ने सुझाव दिया है, यह केवल आवास मंत्रालय की ही बात नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ का प्रश्न आता है। इसलिए इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिए। और हम समझते हैं कि समूचे राष्ट्र के लिए एक कानून बनना चाहिए। आपने हर राज्य के लिए स्टेट बोर्ड बनाने का प्रावधान किया है और सेण्ट्रल पोलूशन बोर्ड भी है, वह ठीक है लेकिन जल्दी से जल्दी इसको लागू होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस सुन्दर बिल का हृदय से समर्थन करता हूं ।

DR. SARADISH ROY (Bolpur): Mr. Chairman, I support the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill. According to the reasons stated here, it has become necessary that this Bill may be amended in order to implement it in the States. There are certain lacunae. After the adoption of this Bill, they have not constituted their State Boards as per the provision within six months. So, this requires that this provision of six months should be deleted and amended on the original Bill.

Regarding the appointment of a Chairman, So it provides for a full time Chairman. But some States which have got the financial capacity or do not require such full time Chairman, there is a provision that they can have a part-time Chairman. I fully agree with these amending provisions in this Bill.

Sometime back they also introduced a Bill for air pollution; where a provision is there for the committee for state boards a central boards for water pollution, they will also look after the implementation of provisions in regard to air pollution; that also requires to be implemented in this Bill. As such we support the amending Bill. But the principal Act was passed by this House in 1974. It would have been better if the Minister had come out with a note enlightening us how that Act had been implemented till now. Water pollution has not decreased. Industrial houses have given no attention to the provisions of water pollution Act and we have not heard of a single case where industrial house had been taken to task for violating the provisions of the Act. You have not mentioned Birla's factory. I was one of those in the Select Committee on water pollution. We had been there recently. The same condition prevails over there; no improvement has taken place. Cattle that go and dring the water in the rivulet polluted by the water from the factory die even today. Nothing has been done. I want to know how that Act is being implemented, whether anyone had been taken to task. It is four years since it was enacted.

Take Calcutta and West Bengal and the Ganga waters, especially now-a-days after the development of industries in Durgapur. There is the Damodar river. Government undertakings are also polluting the waters of the river. On both sides of Ganga industries are there; everyday they are polluting. Some steps should to taken. I want to know what steps the industries have taken; what steps central boards have taken. The Bill refers to laboratories, we want to know how many laboratories suitable to do this work are there? What antipollution measures are to be taken. They should advise the industries regarding the treatment of polluted affluents. What attention has been given to this aspet of the matter so that pollutents are treated by the industry. On many occassions industrialists say that there is no technology to treat the water. Before the establishment of an industry, they should advise the industry to make provision for the treatment of polluted affluent. It should not be after the establishment of the industry. Before the grant of licence, government should insist on provision of treatment of polluted affluents. I think certain dilution is being made in Clause 10 seeks to amend section 21 of the principal Act. It refers to samples being taken and placed in a container and sent for analysis and so on.

But this amendment as provided is like this. A proviso has also been given:

> "the cost incurred in getting such sample analysed shall be payable by the occupier or his agent and in ase of default of suh payment,

[Dr. Saradish Roy]

revenue or of public demand:

case may be, as an arrear of land revenue or of public demand:

Provided that no such recovery shall be made unless occupier or, as the case may be, his agent has been givn a rasonabl opportunity of being heard in the matter."

The original Act provides 'wilfully'. But here it provides:

> "in case of default of such payment, the same shall be recoverable from the occupier or his agent, as the case may be, as an arrear of land revenue or of public demand."

Then the proviso is there which says—

> "has been given a reasonable opportunity" Though provision has been made for realising the amount, its effect has been diluted by this provision to (b).

Is it not giving some leniency again to the big tycoons?

I would request the Minister to let us know during the last three years how many cases have been detected and brought to book in which there has been non-implementation of the provisions of this Act. How many well equipped laboratories, as provided in the principal Act, have been established throughout the country so that this polluted water can be analysed and treated in a short time and remedial measures an be taken. What scientific arrangements have been made to treat the polluted affluence.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर): समापति महोदय, ईश्वर ने हमें पानी और हवा मुफ्त दी और ग़रीब आदमी के लिए यही चीजें थीं जो वह आसानी से ले सकता था। साइंस की तरक्की होने पर जब दौलत चन्द हाथों में चली गई, तो गरीब आदमी को सिर्फ पानी और हवा मुफ्त मिलती थी लेकिन अब पानी और हवा भी मोल देना शरू कर दिया गया है और उस पानी में इतना कुछ मिलना शरू हो गया है और हवा में इतना कुछ मिलना शरू हो हो गया है कि आदमी की जिन्दगी दूभर हो रही है। एक गरीब आदमी को अगर आप पूरे तौर पर रोटी न द सक, तो पानी और हवा तो शद्ध मिलनी चाहिए। अगर उन में भी पोल्यूशन हो जाए, तो एक ग़रीब आदमी कहां तक गजारा करेगा। यह मसला ऐसा नहीं है कि यहां पर मिनिस्टर साहब ने एक कानून बना दिया और उस से पानी और हवा साफ़ हो जाएगी। यह सिर्फ हिन्दुस्तान का मसला नहीं है। यह तो सारी दुनिया का मसला है और इण्टरनेशनल लेविल पर अगर इस के बारे मे पूरे तौर पर विचार नहीं किया गया, और इस को ठीक नहीं किया गया, तो यहां पर कानून बना कर आप इस को ठीक कर लेंगे, यह बात नहीं होने वाली है। आज आप देखें कि अमेरिका के किसी सिरे पर कोई तजर्बा होता है या आस्ट्रेलिया और चायना के किसी सिरे पर होता है। या रशिया के किसी सिरे पर होता है तो वहां से जो रेडियोधर्मिता होती है वह जहां पर हवा का जोर हुआ वहां पर गिर गई। हिन्दुस्तान में हवा का जोर आया तो यहां पर गिर गई। इसका आपके पास क्या इलाज है? आप कानून तो बना रहे हैं लेकिन यह जो इण्टरनेशनल मसला है इस पर तो इण्टरनेशनल्ली दबाव की जरूरत है। आज देश में तूफान आ रहे हैं, कभी आंध्र में तूफान आता है, कभी बंगाल में तूफान आता है। कभी बंगाल में पानी से तबाही होती है, कभी असम में सूखा पड़ता है। यह सारी बातें एटमास्फियरिक डिस्टर्बेंसिज से होती हैं। यह जो एटम बम और हाइड्रोजन बम के तजुर्बे हो रहे हैं उनसे पानी और हवा दूषित हो गये हैं जब तक गवर्नमेंट लेवल पर इस तरफ

कोशिश नहीं की जाएगी तब तक बाहर के देशों में जो तजर्बे हो रहे हैं, उनकी वजह से जो यहां पर हवा और पानी में दोष आ रहे हैं, उन को म नहीं रोक पायग। हम यहां पर जो कदम उठा रहे हैं उनमें इसके बिना कोई मदद पहुंचने वाली नहीं है। इस के बारे में दूसरे देशों के साथ बातचीत कर पूरी कोशिश होनी चाहिए।

मथुरा में रिफायनरी बन रही है जिससे ताजमहल के काला होने का खतरा दिखाई देता है। यह मसला केवल मथुरा का ही नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में जो फक्ट्रीज लग रही हैं, अगर वहां के पानी और हवा को ठीक करने के लिए आप सारे साधन इस्तेमाल नहीं करते हैं और ड्रास्टिक स्टप नहीं लेते हैं तो कोई भी फायदा नहीं है। हमारे होशियारपुर में पाइन आयल की फेक्ट्री लगी। उसका जो गन्दा पानी था वह नालियों में चला जाता था। उस से सारे एरिये में एक सौ फुट तक का सारा का सारा पानी दूषित हो गया। वहां 30–40 फुट तक नलके लगाये जाते थे। इस फक्ट्री से सौ फुट तक पानी खराब हो गया। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट को लिखा गया। उसने वहां पर ट्यूबवेल्स की गहरी खुदाई करवाई। इसलिए हमें पीने के पानी के लिए यह सब प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। जो पानी निकालें उस पानी को सही जगह भेजने का सही इंतजाम हो जिससे कि किसी आदमी की सेहत खराब न हो। फेक्ट्री से जो गंदा पानी निकले उसको इस ढंग से डिस्पोज आफ करें जिससे कि पीने का पानी दूषित न हो सके। यह बहुत जरूरी है।

कहीं पर भी जा कर देख लें। गवर्नमेंट के इतने कायदे कानून बने हैं, लेकिन उनका ठीक से पालन नहीं किया जाता। फक्ट्री की चिमनी कितनी ऊंची होनी चाहिए, इसको देखने वाला कोई नहीं है। आपके जो इंस्पेक्टर हैं जिनका काम इस को देखने का है, उनकी अगर जेब गर्म हो गई तो फिर चिमनी ठीक जगह पर है। अगर उनकी जेबें गर्म नहीं हुई तो उन्हों फैक्ट्री के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी और अगर बाद में जेब गर्म हो गई तो फिर वह रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में चली गई। यह एक बड़ा अहम मसला है।

आप अन्दाजा लगाइये कि इस मुल्क में एक ऐसा जर्म आ गया, जापान से आया या कहीं से आया, उस से यू० पी० में, बिहार में मौतें हो रही हैं। उस से होने वाली बीमारी को आप रोक नहीं पाये हैं। उसको रोकने के हमारे पास साधन नहीं हैं। अभी तक हम इस जर्म को चेक भी नहीं कर सके हैं। और इस देश में पानी और हवा खराब होना शुरू हो जाएगा तो उस से इस देश के गरीब आदमी का बचाव कैसे होगा। दूसरे लोग तो कई जगहों पर जा सकते हैं लेकिन जो इस धरती का बेटा है उसे तो इस धरती पर ही रहना है। यह जो मसला है इसको जहां तक आपके अपने लेवेल पर हल करने की बात है उसको आप हिन्दुस्तान के लेवेल पर ठीक करिए, हिन्दुस्तान में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा कर वह इसको हल करे और जहां तक इसको इंटरनैशनल लेवेल पर हल करने की बात है उस पर भी आप जोर देते रहें और उस लेवेल पर भी इसको ठीक कराने की कोशिश करें ताकि एटमासफीयरिक इम्बैलेंस पैदा न हो। इससे मैं समझता हूं कि कोई भी देश बचने वाला नहीं है। जिन के पास साधन होंगे वे तो बचाव कर लेंगे लेकिन हमारे जैसा

[चौधरी बलबीर सिंह]

देश उसका इलाज नहीं कर सकेगा। इस वास्ते इस चीज को आप इंटरनेशनल लेवल पर भी लें और उस लेवेल पर भी हल करने की कोशिश करें।

मैं आपको मुबारिकबाद देता हूं कि आपने इस तरफ कदम उठाया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कदम को आप जरा शक्ति के साथ उठाएं ताकि लोगों की जिन्दगी के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): इस बिल को लाने के लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारिकबाद पेश करता हूं। पानी, हवा दोनों की गन्दगी दूर करने से सब कुछ नहीं हो सकता है, यह भी मैं उनको कहना चाहता हूं। राजनीति का एक सैक्शन भी है जिस में बहुत पोल्यूशन हो गया है, बहुत गन्दगी आ गई है, उसके बारे में भी उनको कुछ करना चाहिए। मैं उनको यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वह रूलिंग पार्टी के एक मेजर पार्टनर हैं।

श्री बलबीर सिंह: किया आपने और भुगत हम रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: आप दूसरों की फिक्र मत करो। आप अपनी ड्यूटी बजाओ। दूसरों ने जो किया है उसकी सजा उन्होंने भुगत ली है, वे हट भी गए हैं।

पानी कि गन्दगी को दूर करना बहुत जरूरी है। इसका कारण यह है कि जितने लोग हमारे देश में मर रहे हैं उनमें से 25 प्रतिशत लोग खराब पानी पीने से मर रहे हैं। यह रिकार्ड है। यह काम किस मंत्रालय का होना चाहिये और किस का नहीं होना चाहिए, इस चीज में आपको नहीं जाना चाहिए। यह तो गवर्नमेंट का काम है, चाहे इसको आप करें या कोई दूसरा करे। मेरा हाउसिंग मिनिस्टरी से थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है। मैं समझता हूं कि यह मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। मिनिस्टर भी एफिशेंट हैं। उन से बहुत अच्छा काम हो सकेगा, ऐसी हमें उम्मीद है।

मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि गंगा में मरे हुए मुर्दे भी डाले जा रहे हैं मैं बनारस में नहाने के लिए गया था। उसमें एक मुर्दा आया जिस को देख कर मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने वहां ब्राह्मणों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि मुर्दे तो रोजाना आते जाते रहते हैं। ऐज इफ इट इज नथिंग। यह तो उसी तरह से है जैसे लकड़ी पानी में बह रही हो। उस किस्म से आप इसको समझ रहे हैं। गंगा में मुर्दों को डालने पर आपको रोक लगानी चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। यह कोई रिलिजस सैरेमनी नहीं है। हिन्दुस्तान में हिन्दुओं में रिलिजस सैरेमनी बहुत सी जगहों पर जलाने की है। इस चीज पर आपको सख्ती से रोक लगानी चाहिए।

बड़े बड़े जो कारखाने हैं उन को दोष देने से कुछ नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि गन्दगी को रोकने के लिए बड़े बड़े कारखानों और फैक्ट्रियों के बाजू में टैंक बनाए जाएं और वहां पानी को दुरुस्त कर के बाहर छोड़ा जाए। गोआ में बिड़ला की एक जुआरी कैमिकल फैक्ट्री है। उसके बारे में भी शिकायत हुई थी। मैं वहां गया था। उन्होंने बताया कि हमको मालूम नहीं है कि यह सब चीज होने वाली है। उन लोगों ने एक करोड़ रुपया खर्च करके जापान से मशीनरी मंगाई और उससे वहां का पानी साफ किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जब कारखाना बनता है तभी कारखाने के खराब पानी को साफ

करके नालियों में छोड़े जाने का प्राविजन कारखाने के पास ही होना चाहिए। किसी नदी नाले में उस पानी को डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उस पास ही एक तालाब बना कर उस में पानी को शुद्ध करके पानी नालों में छोड़ा जाना चाहिए। किसी भी फैक्ट्री को सरकार लाइसेंस दे तो उसको इंसिस्ट करना चाहिए या फैक्ट्री का जो नक्शा है उस को देखने के बाद या उसको स्वीकृति देने से पहले यह देखना चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि गंदे पानी का ठीक इन्तजाम किया गया है या नहीं किया गया है। जब तक इसके बारे में गवर्नमेंट को पूरी तसल्ली न हो जाए तब तक उस फैक्ट्री को इसे लाइसेंस नहीं देना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज से देश का सौभाग्य होना चाहिए और देश को दौलत मन्द बनना चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ लोगों का स्वास्थ्य भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर सेहत खराब हो गई तो सब कुछ गया।

हम पहले से कहते आ रहे हैं कि अगर किसी की हैल्थ खराब हो गई तो फिर दोबारा आना मुश्किल है। इस वास्ते हैल्थ के नुक्तेनजर से हर फैक्टरी को लाइसेंस देते वक्त देखना चाहिए। आपके मंत्रालय का हुक्म इंडस्ट्रीयल लाइसेन्सेज पर चलता है या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एज ए होल यह गवर्नमेंट का पार्ट होना चाहिए। इस वास्ते आप लोगों को इंस्ट्रक्शन्ज दीजिए। जब तक पानी के साफ करने का उनके पास ठीक से इंतजाम न हो तो अगर इंडस्ट्री न हो तो कोई परवाह नहीं, यह हिन्दुस्तान ज्यादा दिन जिन्दा रह सकता है, मगर अगर हमारे लोगों को हैल्थ खराब हो गई, काम करने वाले कमजोर हो गये, मर गये तो बड़ा नुक्सान होगा। एक आदमी जो काम करने के काबिल होता है, उस पर देश को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे पढ़-लिखकर वह वर्कर हो, इंजीनियर हो या डाक्टर हो। उस की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च होता है जो कि नेशनल एक्सचैकर का पैसा होता है। इस तरह से नेशनल एक्सचैकर पर जो भार पड़ता है, उसके बारे में गवर्नमेंट को हर तरह से सोचना चाहिए।

पहली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो इस बात का सहारा नहीं लेना चाहिए। दिस इज नो एक्सक्यूज, नाट टू डू दी वर्क। आप जब नेकनीयती से कदम आगे बढ़ा रहे है, कदम उठा नहीं रहे हैं, बल्कि मजबूती से कदम रख रहे हैं तो मैं इस वास्ते आपको मुबारकबाद देता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बोर्ड आप कायम करने वाले हैं उसमें पोलिटिशीयन बढ़ाना चाहते हैं तो भी एफीशियेंट पोलिटीशियन को उसमें बढ़ाइये। स्टेट्स में जो बोर्ड बन रहे हैं, आप उन स्टेटस पर कितना असर डाल सकते हैं, तो उसकी भी आपको निगरानी करनी चाहिए। अच्छे लोगों को अच्छी जगह बैठाने से काम अच्छे होंगे, उसके नतीजे अच्छे निकलेंगे।

श्री कृष्ण सिंह : (मुंगेर) : सभापति महोदय, वह विधेयक बिलम्ब से ही आया है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1978 थोड़ा पहले आता तो अच्छा होता। इसमें जो डिफैक्ट पाये गये और उनको दूर करने के लिए जो सरकारी संशोधन आये हैं, वह बहुत पहले आते तो अच्छा रहता। जल प्रदूषण के निवारण की अहमियत कम नहीं है।

बहुत से लोग कह रहे हैं कि कारखानों के चलते बहुत से शहरों में पानी

[श्री श्रीकृष्ण सिंह]

गन्दा होता है, वह तो है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज यह है कि जितने भी शहर बसे हुए हैं वह सब किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं । चाहे गंगा हो या जमना हो, सरजू हो या गंडक हो, नर्बदा हो ताप्ती हो या कृष्णा हो, जितने भी शहर हैं सब को नालियों का मुंह नदियों की तरफ है, गंगामुखी है । अंग्रेजों के जमाने से लेकर पिछले 30 वर्षों तक जितने भी शहर बस रहे हैं या उनका विस्तार किया जा रहा है, उनमें शहर की नालियों का मुंह गंगामुखी है । अकेले गंगा में 2 करोड़ आदमी प्रतिदिन स्नान करते हैं । 50, 60 लाख आदमी गंगा का पानी पीते हैं । आप कल्पना कीजिए कि इससे उनके स्वास्थ्य का क्या होगा । जिस गंगा में सारे शहर का पाखाना, पेशाब, गन्दगी नालियों से निकल कर गिरती हो वहां जा कर लोग स्नान करें

MR CHAIRMAN: If he likes to continue his speech, he can continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 A. M. tomarrow.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 21, 1978/Kartika 30, 1900 (Saka)

GMGIPNDMR—SI—2962 LS—